कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—09 (राज0), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दुरभाष:—

0744-2500194

क्रमांकःएफ13()एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/2522

दिनांक : 8/5/23

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषयः Diversion of forest land for construction of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 in Dist., Bundi the state of Rajasthan (Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017)

आपका ऑनलाईन ई०डी०एस० एवं पत्रांक एफ14(535/46) 2022/ एफसीए/ प्रमुवसं /5458 दिनांक 29.03.2023 के क्रम में

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक ऑनलाईन ई०डी०एस० / पत्रांक दिनांक 29.03. 2023 से चाही गयी बिन्दुओं की सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक बून्दी ने अपने पत्रांक एफ2()वन संरक्षण / उवसं / 2022-23 / 4090 दिनांक 24.04.2023 से बिन्दुवार जवाब तैयार कर

कार्यालय में प्रेषित किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	आक्षेप	पलना
1	प्रस्ताव में संलग्न केएमएल फाईल, जीटी शीटस मेप्स और डी.जी. पी.एस. मे आर.वी.टी.आहर के बफर क्षेत्र में पड़ने वाले वनभूमि एवं गैर वनभूमि को अंकित किया जावे।	उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ने प्रस्ताव में संलग्न केएमएल फाईल, जीटी शीटस मेप्स और डी.जी. पी.एस. मे आर.वी.टी.आहर के बफर क्षेत्र में पड़ने वाले वनभूमि एवं गैर वनभूमि को अंकित कर दिया गया है तथा जी०टी०शीट मैप तथा डीजीपीएस मेप संलग्न है।
2	लागत लाभ विश्लेषण नवीन एन०पी०वी० की दरें एवं प्रस्ताव के वन्यजीव क्षेत्र में पड़ने से आये बदलाव के अनुसार प्रस्तुत करें।	उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण अपलोड कर दिया गया है। जो संलग्न है।
3	पार्ट—ा के बिन्दु संख्या आई में वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में आवश्यक संशोधन किये जावे।	उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ने पार्ट—ा के बिन्दू संख्या आई में वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में आवश्यक संशोधन किया गया है। जो संलग्न है।
4	वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव में पड़ने वाले वन/गैर वनभूमि की संशोधित एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न की जानी है।	उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके प्रासंगिक पत्र से वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव में पड़ने वाले वन/गैर वनभूमि की एरिया केलकुलेशन शीट संशोधित कर दी है। जो संलग्न है।
5	पार्ट—ाा के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार सूचना भरी जान प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा पार्ट—ाा के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव संशोधन कर दिया गया है। पार्ट—ाा संलग्न है।
5	वन्यजीव क्षेत्र में आने के कारण एन०पी०वी० गणना संशोधित	उप वन संरक्षक जिल्लान स्थादि एर कार

RajKaj Ref No. : 3726887

Gupta Designation : Chief C Forest servator Of Date: 2023.05.07 :11:59 IST





	कर प्रस्तुत की जानी है।	
7	उप वन संरक्षक बून्दी एवं मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार रिपोर्ट नहीं दी गयी है। अतः उप वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर अद्यतन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना है।	उप वन संरक्षक बून्दी एंव मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट संलग्न है।
8	आर0वी0टी0आर0 के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	आर0वी0टी0आर0 के नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड कर दी गयी है जो संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता) संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

क्रमांक:एफ13()एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :

1. उप वन संरक्षक बून्दी को पत्रांक 4090 दिनांक 24.04.2023 के क्रम में।

2. परियोजना निदेशक (पी०पी०पी०) सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Signature valid

Digitally signed by Mahes Chand Gupta Designation: Chief Conservator Of Forest Date: 2023.05.07 1:11:59 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3726887



OFFICE OF CHIEF CONSERVATOR OF FOREST, KOTA

SITE INSPECTION REPORT

(For the Forest Land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Construction of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda (Online Proposal No .FP/RJ/ROAD/29812/2017)

Site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 03-05-2023. On inspection of the site, it is found that the forest land required by the user agency is 32.3264 ha. The legal Status of proposed forest land is part Reserved Forest (Forest Block-Dhaneswar, Dasaliya-A & Lambhakhoh) and part Protected Forest (Forest Block-Kachaliya & Bharatabhawri). But now by the notification of Govt. of Rajasthan no. F.No.3(12) Forest/2019 dated 16-05-2022 Ramgarh Vishdhari tiger Reserve has been declared in Bundi district due to which out of 32.3264 ha area proposed for this project, 28.80 ha. Area of Dhaneswar, Lambhakhoh, Kachaliya & Bhartabhawri forest blocks falls in Buffer area of this Ramgarh Vishdhari tiger reserve.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part-I is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in

the area. If so, the details thereof .: (No such)

Whether protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important movements is located in the area. if so, the details thereof with NOC form competent authority, if required .: (No such)

- (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.
- (a) It has been found that the user agency has violation is attached -No

Place: Kota

Date: 05.05.2023

(Mahesh Chand Gupta) Chief Conservator of Forests, Kota

Signature valid

Digitally signed by Maney Chand Gupta Designation : Chief Conservator Of Forest Date: 2023.05.07 4:11:59 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3726887

